

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	
शहर/करबे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	कोटा
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	स्वाधीन विवेकानन्द नगर, P.O. K. Puram, गुरुदास नगर, सीमा क्षेत्र, मुकुन्दपुरा विहार
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	19/12/2004-05 दि. 17-01-2005
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संतुलन
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	प्राथमिक विद्यालय संचालित
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	संतुलन

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	सभी वर्गों एवं गरीबों के लोगों को
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	नहीं
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	N/A
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	-
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	-
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	सीमा के अन्दर
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	संतुलन
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनांतर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	-
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	N/A
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	गरीब एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	निश्चयानुसार
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	-
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	-
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचारधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	-
अन्य विवरण	-

Self attested

29/15